प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान देखे गए और साथ ही वे भी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देश और लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से प्राप्त सहयोग का, लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहता है।